

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 10

वाणिज्य विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:

		बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व	768.00	1066.00	1834.00	768.00	2266.00	3034.00	849.00	1960.00	2809.00	
	पूंजी	707.00	...	707.00	737.00	...	737.00	711.00	...	711.00	
	जोड़	1475.00	1066.00	2541.00	1505.00	2266.00	3771.00	1560.00	1960.00	3520.00	
1.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	5.00	37.00	42.00	5.00	37.00	42.00	5.00	38.10	43.10
	विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन										
2.	व्यापार आयुक्त	3453	...	78.50	78.50	...	78.50	78.50	...	80.00	80.00
3.	विदेश व्यापार महानिदेशक	3453	...	45.71	45.71	...	45.71	45.71	...	47.80	47.80
4.	निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता										
4.01	निर्यात सब्सिडी	3453	...	694.00	694.00	...	1594.00	1594.00	...	1294.00	1294.00
4.02	बैंकों को ब्याज सब्सिडी	3453	300.00	300.00
4.03	निर्यात संवर्धन एवं बाजार विकास संगठन को सहायता-अनुदान	3453	...	55.00	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	55.00
	जोड़		...	749.00	749.00	...	1949.00	1949.00	...	1349.00	1349.00
5.	मुक्त व्यापार/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास										
5.01	कांडला-एसईजेड	3453	...	5.09	5.09	...	5.08	5.08	...	5.62	5.62
5.02	इलेक्ट्रॉनिक्स (एसईईपीजेड)-एसईजेड	3453	...	5.65	5.65	...	6.25	6.25	...	6.54	6.54
5.03	फाल्टा	3453	...	2.62	2.62	...	2.85	2.85	...	3.38	3.38
5.04	चेन्नई	3453	...	4.40	4.40	...	4.28	4.28	...	4.66	4.66
5.05	कोचीन-एसईजेड	3453	...	2.95	2.95	...	3.01	3.01	...	3.64	3.64
5.06	नोएडा	3453	...	5.47	5.47	...	5.75	5.75	...	6.00	6.00
5.07	विशाखापत्तनम	3453	...	2.65	2.65	...	2.92	2.92	...	3.00	3.00
5.08	इंदौर एसईजेड	3453	...	0.55	0.55	...	0.47	0.47	...	0.56	0.56
5.09	जयपुर एसईजेड	3453	...	0.41	0.41	...	0.34	0.34	...	0.41	0.41
5.10	मनीकंचन एसईजेड (कोलकाता)	3453	...	0.49	0.49	...	0.44	0.44	...	0.51	0.51
5.11	मुरादाबाद एसईजेड	3453	...	0.39	0.39	...	0.20	0.20	...	0.28	0.28
5.12	महा-मुम्बई एसईजेड	3453	...	0.40	0.40	...	0.16	0.16	...	0.40	0.40
5.13	जोधपुर एसईजेड	3453	...	0.33	0.33	...	0.23	0.23	...	0.30	0.30
5.14	सूरत - एईजेड	3453	...	0.16	0.16	...	0.12	0.12	...	0.16	0.16
5.15	ईसीजीसी में निवेश	5465	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
5.16	राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता	3453	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00
	जोड़		250.00	31.56	281.56	250.00	32.10	282.10	250.00	35.46	285.46
6.	कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	3453	80.00	...	80.00	90.00	...	90.00	100.00	...	100.00
7.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	3453	80.00	5.00	85.00	80.00	5.00	85.00	100.00	5.00	105.00
8.	विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं										
8.01	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय	3453	...	13.50	13.50	...	13.55	13.55	...	13.95	13.95
8.02	निर्यात संवर्धन गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण										
8.02.01	निर्यात निरीक्षण परिषद	3453	18.75	...	18.75	18.75	...	18.75	10.00	...	10.00
8.02.02	बाजार सुलभता पहल-निर्यात अध्ययन	3453	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	50.00	...	50.00
8.02.03	डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र	3453	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00
8.02.05	संस्थाओं को सहायता	3453	13.25	...	13.25	13.25	...	13.25	15.25	...	15.25
8.02.06	आधुनिकीकरण और उन्नयन	3453	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
	जोड़		7.00	...	7.00	67.78	...	67.78	26.00	...	26.00
			13.00	...	13.00	73.78	...	73.78	32.00	...	32.00

सं. 10/ वाणिज्य विभाग

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
8.02.07 फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान	3453	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	5.00	...	5.00
जोड़	95.00	...	95.00	155.78	...	155.78	116.25	...	116.25	
8.03 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान	3453	...	12.75	12.75	...	13.25	13.25	...	14.00	14.00
8.04 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	3453	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
8.05 निर्यात अवसंरचना और अन्य संबद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता योजना	5453	540.00	...	540.00	509.22	...	509.22	513.00	...	513.00
8.06 क्यूबा को निर्यात हेतु देयों का भुगतान	3453	282.00	...	282.00
8.07 अन्य	3453	...	1.92	1.92	...	2.32	2.32	...	2.33	2.33
जोड़	635.00	28.47	663.47	665.00	29.42	694.42	629.25	312.58	941.83	
जोड़-विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	1045.00	938.24	1983.24	1085.00	2139.73	3224.73	1079.25	1829.84	2909.09	
बागान										
9. सामग्री बोर्ड										
9.01 चाय बोर्ड	2407	98.00	18.75	116.75	81.90	18.75	100.65	55.00*	18.75	73.75
	4407	15.00	...	15.00
Total		98.00	18.75	116.75	81.90	18.75	100.65	70.00	18.75	88.75
9.02 रबड़ बोर्ड	2407	75.00	10.25	85.25	75.00	10.25	85.25	89.00	10.25	99.25
9.03 कॉफी बोर्ड	2407	54.00	14.25	68.25	54.00	14.25	68.25	107.75	14.25	122.00
9.04 मसाला बोर्ड	2407	45.00	1.00	46.00	48.60	1.00	49.60	45.00	1.00	46.00
जोड़ - सामग्री बोर्ड		272.00	44.25	316.25	259.50	44.25	303.75	311.75	44.25	356.00
10. फसल बीमा	2407	1.00	...	1.00
11. बागानों की अन्य योजनाएं										
11.01 मूल्य स्थिरीकरण निधि	2407	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
11.01.01 पी एस एफ न्यास को भुगतान मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना										
से	2407	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20	...	4.50	4.50
को	2407	...	-1.20	-1.20	...	-1.20	-1.20	...	-4.50	-4.50
Net	
11.02 चाय क्षेत्र के लिए विकास निधि	Sector									
11.02.01 चाय बोर्ड को भुगतान से	2407	53.00	...	53.00	53.00	...	53.00	10.74	...	10.74
को	2407	-53.00	...	-53.00	-53.00	...	-53.00	-10.74	...	-10.74
Net	
जोड़ - बागान की अन्य स्कीमें		...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-बागान		272.00	44.26	316.26	259.50	44.26	303.76	312.75	44.26	357.01
12. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान										
12.01 अवसंरचना एवं अन्य संबद्ध क्रियाकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता स्कीम	4552	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	57.00	...	57.00
12.02 चाय	2552	62.00	...	62.00	62.00	...	62.00	60.00	...	60.00
12.03 रबड़	2552	15.00	...	15.00	17.50	...	17.50	25.00	...	25.00
12.04 कॉफी	2552	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	12.00	...	12.00
12.05 मसाले	2552	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
Total		148.00	...	148.00	150.50	...	150.50	159.00	...	159.00
13. आपूर्ति और निपटान										
13.01 डी जी एस एन्ड डी	2057	...	46.50	46.50	...	45.01	45.01	...	47.80	47.80
13.02 डीजीएस एन्ड डी में कम्प्यूटरीकरण	2057	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00
Total		5.00	46.50	51.50	5.00	45.01	50.01	4.00	47.80	51.80
कुल जोड़		1475.00	1066.00	2541.00	1505.00	2266.00	3771.00	1560.00	1960.00	3520.00

* विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए 2.25 करोड़ रुपए शामिल हैं।

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
1. निर्यात ऋण और गारंटी निगम										
2. बागान	13465	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
जोड़	12407	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
		100.00	2.00	102.00	100.00	2.00	102.00	100.00	...	100.00
ग. योजना परिव्यय										
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
2. विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	13453	1045.00	...	1045.00	1085.00	...	1085.00	1079.25	...	1079.25
3. बागान	12407	272.00	2.00	274.00	259.50	2.00	261.50	312.75	...	312.75
4. आपूर्ति और निपटान	32057	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	148.00	...	148.00	150.50	...	150.50	159.00	...	159.00
जोड़		1475.00	2.00	1477.00	1505.00	2.00	1507.00	1560.00	...	1560.00

1. **सचिवालय- आर्थिक सेवाएं-** यह विभाग विदेश व्यापार के क्षेत्र में नीतियां तैयार करता है। इसकी जिम्मेदारियां बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वाणिज्यिक सम्बन्धों, राज्य व्यापार, निर्यात संवर्धन उपायों और निर्यात-मुखी उद्योगों तथा वस्तुओं के विकास एवं विनियमन से संबंधित मामलों पर भी लागू होती हैं। यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **व्यापार आयुक्त-** विदेशों में भारतीय मिशनों में कार्यरत 66 वाणिज्यिक कार्यालय हैं। विदेश स्थित वाणिज्यिक कार्यालय संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं और वे विश्व के साथ भारत के व्यापार एवं आर्थिक आदान- प्रदान का संवर्धन करने के लिए होते हैं। इन स्कंधों का प्राथमिक कार्य विद्यमान वैश्विक बाजार की प्रवृत्तियों, व्यापारिक कार्यकलापों आदि पर नियमित पूरक सूचना प्रदान करके सरकार की व्यापारिक और आर्थिक नीतियों को तैयार करने में उसकी मदद करना है। यह प्रावधान इन वाणिज्यिक कार्यालयों की स्थापना से संबंधित खर्चों के लिए है।

3. **विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)-** यह प्रावधान डीजीएफटी कार्यालय के मुख्यालय और उसके 32 क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक व्यय के लिए है। यह निदेशालय निर्यातों के संवर्धन हेतु एकजिम नीति के निष्पादन के लिए जिम्मेवार है। इसके अलावा, यह लाइसेंसों को जारी करने और निर्यात दायित्वों आदि की निगरानी से संबंधित कार्य को भी देखता है।

4. **निर्यात संवर्धन एवं बाजार विकास हेतु सहायता-** यह प्रावधान माने गए निर्यात लाभों (शुल्क प्रतिअदायगी और अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी) के लिए है। इस प्रावधान में निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य संस्थानों को "फोकस एलएसी", "फोकस अप्रीका", "फोकस- आसियान + 2" और "फोकस- सीआईएस" कार्यक्रमों आदि जैसी विशिष्ट निर्यात संवर्धन स्कीमों के लिए अनुदानों का भुगतान भी शामिल है।

5. मुक्त व्यापार/विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) का विकास-

(i) यह प्रावधान मुख्यतः घरेलू टैरिफ क्षेत्रों से अलग अंतःक्षेत्रों के रूप में स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के प्रशासनिक व्यय के लिए है जिनका उद्देश्य निर्यात संवर्धन के लिए शुल्क मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र उक्त क्षेत्र के भीतर स्थित निर्यात-मुख्य इकाइयों के प्रशासन के लिए जिम्मेवार हैं।

(ii) **ईसीसीसी में निवेश-** निगम का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को वाणिज्यिक या राजनीतिक कारणों की वजह से निर्यात आय की प्राप्ति न होने के जोखिम के लिए विभिन्न प्रकार की बीमा सुरक्षा प्रदान कर, और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्यातकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु विभिन्न प्रकार की गारंटियां प्रदान कर देश के निर्यातों में सहायता करना है।

(iii) **राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए)-** राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (एनईआईए) से ऐसी परियोजनाओं एवं अन्य उच्च मूल्य वाले निर्यातों के लिए ऋण जोखिम सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित होगी जो राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से वांछनीय हैं। साधारण बीमा निगम ("राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता") या किसी अन्य पुनर्बीमाकर्ता से उपलब्ध पुनर्बीमा की सीमा तक एनईआईए से कोई सहायता नहीं मांगी जाएगी। यदि पुनर्बीमा किसी परियोजना के लिए केवल आंशिक रूप से उपलब्ध है तो इस निधि से सहायता केवल उसी भाग के लिए मांगी जाएगी जिसे पुनर्बीमा द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6. **कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)-** एपीडा की स्थापना वर्ष 1986 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गयी थी। यह प्रावधान निर्यातों के विकास और संवर्धन के लिए एपीडा को भुगतान करने के लिए है।

7. **समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा)-** एम्पीडा की स्थापना वर्ष 1972 में की गयी थी और वह निर्यातों, अपतटीय एवं गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विनियमन तथा मत्स्यन जलपोतों, प्रसंस्करण संयंत्रों, निर्यातकों के पंजीकरण के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिए जिम्मेवार है। यह प्रावधान एम्पीडा के प्रशासनिक, विकास और संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए है।

8. विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन की अन्य स्कीमें-

क. **वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय-** यह निदेशालय विदेशी, अंतर्देशीय और अनुषंगी व्यापार सांख्यिकी के संग्रहण, संकलन और प्रकाशन के लिए तथा वाणिज्यिक सूचना के प्रसार के लिए जिम्मेवार है। यह निदेशालय व्यापार सांख्यिकी का प्रकाशन करता है जिसमें विविध प्रकार के प्रकाशन होते हैं। डीजीसीआईएण्डएस के पास व्यापारियों, निर्यातकों, आयातकों, अनुसंधानकर्ताओं, सरकारी एवं अर्ध- सरकारी एजेंसियों आदि के उपयोग हेतु एक वाणिज्यिक पुस्तकालय है।

ख. **निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)-** ईआईसी की स्थापना निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा (3) के अंतर्गत की गई थी। ईआईसी के प्रमुख कार्य निर्यात हेतु वस्तुओं के गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण में सुधार के लिए किए जाने वाले उपायों में केंद्र सरकार को सलाह देना है। यह प्रावधान योजनागत स्कीमों अर्थात् "निर्यात संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण, एचआरडी और ईआईसी/ईआईए की प्रयोगशालाओं के लिए भवन" के कार्यान्वयन के लिए है।

ग. **बाजार पहुँच पहल (एमएआई)-** यह स्कीम नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में लागू की गयी थी तथा संशोधित स्कीम दिसम्बर, 2003 में सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी थी। यह स्कीम बाजार एवं उत्पाद विशिष्ट अध्ययन/सर्वेक्षण के लिए विशिष्ट कार्यनीति बनाने के लिए तैयार की गयी है।

घ. **डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र-** इस केंद्र को यह सहायता केंद्र के प्रचालन व्यय के लिए है।

ड. **संस्थाओं को सहायता-** यह प्रावधान भारतीय विदेश व्यापार संस्थान तथा भारतीय पैकेजिंग संस्थान के व्यय के लिए है जो सरकार द्वारा यथा अनुमोदित केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्कीमों का कार्यान्वयन करते हैं।

च. **आधुनिकीकरण एवं उन्नयन-** इस स्कीम में डीजीएफटी में कम्प्यूटरों के उन्नयन और कोलकाता स्थित डीजीसीआईएण्डएस फुरसतगंज, रायबरेली यू.पी. स्थित एफडीडीआई के लिए कार्यालय भवन के निर्माण का प्रावधान है।

छ. **फुटवियर डिजायन एवं विकास संस्थान-** यह सहायता मुख्यतः समेकित प्रदर्शन केंद्र के निर्माण के लिए है।

ज. **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान-** सरकार विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, सामान्य वस्तु निधि आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्य है।

झ. **निर्यात अवसंरचना के विकास एवं अन्य संबद्ध कार्यक्रमों के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडी) संबंधी स्कीम-** यह स्कीम मार्च, 2002 में शुरू की गयी थी और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रही। इस स्कीम के परिचय के दो संघटक हैं। 80% निधियाँ राज्यों को आवंटन करने के लिए निर्दिष्ट की जाती हैं। शेष 20% को अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं अथवा क्षेत्रीय या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण समझे गए अन्य कार्यक्रमों की जरूरत को पूरा करने के लिए केंद्रीय स्तर पर रखा जाता है।

ञ. **अन्य-** इसमें शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के प्रशासनिक व्यय और विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों से संबंधित व्यय के लिए खर्च शामिल है।

9. (i) **चाय बोर्ड-** चाय बोर्ड की स्थापना चाय अधिनियम, 1953 के अधीन की गई थी। चाय बोर्ड के प्राथमिक कार्य कृषि, विनिर्माण, विपणन, निर्यात संवर्धन एवं चाय के उत्पादन को बढ़ाने और चाय की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आरएण्डडी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है।

(ii) **रबड़ बोर्ड-** रबड़ बोर्ड की स्थापना रबड़ बोर्ड अधिनियम, 1947 के अधीन की गयी थी। बोर्ड के प्राथमिक कार्य वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान के संवर्धन, विकास और प्रोत्साहन; रबड़ उत्पादकों को तकनीकी सलाह देने, रोपण, खेती, प्रबंधन एवं आंकड़ों के संग्रहण के उन्नत तरीकों में उत्पादकों को प्रशिक्षित करने से संबंधित है।

(iii) **कॉफी बोर्ड-** कॉफी बोर्ड की स्थापना कॉफी अधिनियम, 1942 के अधीन की गयी थी। बोर्ड के प्रमुख कार्य कॉफी उद्योग की वृद्धि और विकास हेतु कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाने; कॉफी निर्यात का संवर्धन करने; उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आरएण्डडी कार्यक्रमों को चलाए रखने; पद्धतियों के उचित पैकेज के

साथ कॉफी की कीट प्रतिरोधी किस्में तैयार करने और कॉफी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपायों से संबंधित है।

(iv) **मसाला बोर्ड-** मसाला बोर्ड की स्थापना मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा (1) के तहत की गयी थी। बोर्ड के प्राथमिक कार्य मसालों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने, नई किस्में तैयार करने के लिए चयन/संकरण के जरिए फसल सुधार, इनहाऊस प्रयोगशालाएं स्थापित करने में निर्यातकों को सहायता प्रदान करने और मसालों से संबंधित राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को तैयार करने में सरकार की सहायता करने से संबंधित हैं।

बागानों की अन्य स्कीमें

10. **फसल बीमा-** यह नई योजना है जिसे शुरू किए जाने का प्रस्ताव है तथा इसमें चाय, रबड़, कॉफी और मसालों के बीमा की परिकल्पना की गई है।

11. **कीमत स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ)-** सरकार ने 500 करोड़ रूपए की संग्रह निधि से चाय, कॉफी, रबड़ और तम्बाकू के 3.42 लाख उत्पादकों के लाभार्थ कीमत स्थिरीकरण निधि की स्थापना को अनुमोदित किया है। पीएसएफ का उद्देश्य इन वस्तुओं की कीमतें एक निर्दिष्ट स्तर से कम हो जाने की स्थिति में सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद कार्य की प्रथा का सहारा लिए बिना उत्पादकों को राहत प्रदान करना है।

12. **पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान-** यह प्रावधान सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए किया गया है।

13. **पूर्ति एवं निपटान-** यह निदेशालय सामान्य प्रयोक्ता मदों के लिए दर संविदाओं को अंतिम रूप प्रदान करने, भण्डारों की खरीद, निरीक्षण, पोत लदान और निकासी के लिए है। यह प्रावधान डीजीएसएण्डडी एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक व्यय के लिए है।